सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

स्कूल प्रबन्धन समिति कार्यकारिणी प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश

प्रशिक्षण मॉड्यूल में शिक्षा से जुड़े हर एक पहलू का समावेश

प्रदेश के सभी स्कूलों में स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन के उद्देश्य, संरचना, समिति की आम सभा तथा कार्यकारी परिषद, समिति की शक्तियों एवं कार्यों, वित्तीय संसाधनों संबंधी विस्तृत जानकारी गिरिराज साप्ताहिक के 31 मार्च– 6 अप्रैल 2010 के अंक में दी गई थी। चूंकि स्कूल से जुड़ी हर एक गतिविधि स्कूल प्रबन्धन समिति की सक्रियता एवं भागीदारी पर निर्भर होगी। अतः समिति सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल तैयार किया गया। यह मॉड्यूल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु चलाए जा रहे विभिन्न स्कूली कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सफल संचालन एवं कार्यान्वयन में स्कूल प्रबन्धन समिति की भूमिका को सुनिश्चित बनाने में सहायक होगा। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर दिया जाएगा।

स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना प्रत्येक स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी को समय पर (कम से कम 15 दिन पूर्व) पत्र भेज कर दी जानी चाहिए ।
- प्रशिक्षण में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों की सूचना भी उन्हें पत्र के साथ दी जाए।
- प्रशिक्षण स्थान व समय की जानकारी भी पत्र में संलग्नित हो ।
- इस प्रशिक्षण की जानकारी उप–निदेशक प्रारम्भिक, शिक्षा को भी दी जाए।
- समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी जिलाधीश को भी दी जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण की जानकारी खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को होना जरूरी है । ताकि प्रशिक्षण उनकी देख–रेख में हो सके।
- प्रशिक्षण की जानकारी संकुल स्रोत समन्वयक व खण्ड स्रोत समन्वयक को होना जरूरी है।
- प्रशिक्षण को तीन दिनों में संकुल स्तर पर और तीन दिनों में खण्ड स्तर पर ही पूरा किया जाए।
- स्त्रोत व्यक्तियों की पहचान उनके प्रशिक्षक के रूप में गुणों के आधार पर होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल में सुनिश्चित किए गए मुद्दों पर ही चर्चा की जाए।

प्रशिक्षण का तरीका :

- व्याख्यान विधि (Lecture method)
- चर्चा विधि (Discussion method)
- अवलोकन विधि (Observation method)

स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी का संकुल स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल

पहला दिन

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	त तीय सत्र	चतुर्थ सत्र
✓प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं परिचय ✓प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य	✓स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी के कार्य एवं शक्तियां ✓समूह चर्चा	✓नामांकन व ठहराव से जुड़े मुद्दे ✓चर्चा	✓बड़े समूह में चर्चा

दूसरा दिन

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	त तीय सत्र	चतुर्थ सत्र
✓सतत् समग्र मूल्यांकन –क्या ? –क्यों? ✓परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन में अन्तर समूह चर्चा	✓सतत् समग्र मूल्यांकन में बच्चों के प्रगति प्रपत्र का पूर्ण ब्योरा देना ✓चर्चा	✓सतत् समग्र मूल्यांकन के क्रियान्वयन में अभिभावकों की भूमिका ✓चर्चा	✓कक्षा में सतत् समग्र मूल्यांकन अध्यापक शिक्षण पुस्तिका पर छोटे समूह में चर्चा करना (विद्यालय प्रमुख) ✓बड़े समूह मे चर्चा

तीसरा दिन

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	त तीय सत्र	चतुर्थ सत्र
✓बच्चों में मूल्यों का विकास एवं समाज की भागीदारी। ✓छोटे समूह में चर्चा	✓ मध्याहन् भोजन योजना ✓छोटे समूह में चर्चा	✓ मध्याहन् भोजन योजना में स्कूल प्रबन्धन समिति की भागीदारी ✓छोटे समूह में चर्चा	✓तीन दिन तक किए गए कार्य पर बड़े समूह मे चर्चा ✓प्रतिभागियों से प्रशिक्षण की प्रतिपुष्टि लेना

स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी का खण्ड स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल

पहला दिन

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	त तीय सत्र	चतुर्थ सत्र
✓प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं परिचय ✓प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य	✓स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी के कार्य एवं शक्तियां ✓समूह चर्चा	✓पाठशाला में सीखने –सिखाने की प्रक्रिया में होने वाली गतिविधियां ✓चर्चा	✓सतत् समग्र मूल्यांकन में नजदीक के स्कूल में बच्चों के प्रगति प्रपत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा

दूसरा दिन

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	त तीय सत्र	चतुर्थ सत्र
✓विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) क्या है ? ✓विद्यालय विकास योजना से जुड़े मुख्य पहलू	✓नजदीक के विद्यालय मे एस. डी.पी. बनाने हेतु ग्रमण–समूह कार्य ✓एस.डी.पी. से जुड़े पहलुओं का अवलोकन नोट करना	✓विद्यालय विकास योजना समूह में तैयार करना–समूह कार्य	✓समूह द्वारा किए गए कार्य की प्रस्तुति करना ✓चर्चा

तीसरा दिन

प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	त तीय सत्र	चतुर्थ सत्र
✓विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा ✓चर्चा	✓विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान सूची ✓चर्चा	✓स्कूल प्रबंधन समिति के वित्तीय संसाधन ✓समिति द्वारा खर्चों के रखरखाव हेतु जानकारी	✓तीन दिनों मे किए गए कार्य पर बड़े समूह मे चर्चा ✓प्रतिभागियों से प्रशिक्षण की प्रतिपुष्टि लेना

नोट : प्रतिभागियों से सम्बन्धित विषय से जुड़े मुद्दों को केन्द्र में रखकर ही चर्चा की जाए। कमियों,सुझावों व समाज की भागीदारी पर चर्चा केन्द्रित की जाए। प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावों, कमियों को स्त्रोत व्यक्ति चार्ट या बोर्ड पर लिखें और स्पष्ट समझ बनाएं।

- जिला स्तर पर प्रत्येक खण्ड से पांच–पांच स्रोत व्यक्तियों की पहचान की जाए।
- इन स्रोत व्यक्तियों को तीन दिन का प्रशिक्षण ज़िला स्तर पर दिया जाए।
- खण्ड स्तर पर प्रत्येक संकुल से छः लोगों को स्रोत व्यक्ति के रूप में तीन दिन का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए। यह प्रशिक्षण ज़िला स्तर पर तैयार किए गए मुख्य स्रोत व्यक्ति देंगे। संकुल स्तर पर सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों की पहचान स्रोत व्यक्ति के रूप में की जा सकती है ।
- संकुल स्तर पर तीन दिनों का स्कूल प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण करवाया जाए।
- मॉड्यूल में दिए गए विषयों से अलग आवश्यकतानुसार शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है।
- प्रशिक्षण के पश्चात् निम्न आंकड़ों को संकुल स्रोत समन्वयक की सहायता से तैयार किया जाए।
  - प्रशिक्षण प्राप्त स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या।
  - प्रशिक्षण किस स्तर पर प्राप्त किया।
- खण्ड व संकुल स्रोत समन्वयक समय –समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करेंगे।

नामांकन

शिक्षा बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में सहायक है। इसलिए संविधान में प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठशाला में बच्चों का शत –प्रतिशत नामांकन आवश्यक है अर्थात् समाज के सभी वर्गों के बच्चों को पाठशाला में दाखिल करवाया जाना अत्यंत ज़रूरी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज के चुने हुए प्रतिनिधियों, अध्यापक/अध्यापिकाओं और अभिभावकों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। ग्रामीण शिक्षा पंजिका (Village Education Register) तैयार करनी होगी।

नामांकन में आने वाली समस्याएं:

- जन्म प्रमाण पत्र का न होना
- घरेलू कार्यों में बच्चों को व्यस्त रखना।
- छोटे भाई –बहनों की देख रेख में व्यस्तता।
- बालश्रम
- घुमंतू परिवारों के बच्चों की पढ़ाई की समस्या ।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समस्या ।
- शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी ।
- बालिका शिक्षा को महत्व न देना ।
- घर से पाठशाला की दूरी : साधारणतः माता –पिता बालिकाओं को उसी स्तर तक शिक्षा प्रदान करवाते हैं जिस स्तर तक की पाठशाला गाँव में है। उच्च–शिक्षा के लिए बालिकाओं को घर से बाहर भेजना उचित नहीं समझते।
- असुरक्षा की भावना
- आयु की समस्या : अगर किसी कारणवश बच्चों का नामांकन समय पर नहीं हो पाया है तो वे बड़ी उम्र में छोटे बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं।
- पाठशाला में बुनियादी सुविधाओं की कमी
- पाठशाला में अनुकूल वातावरण की कमी। घर के आत्मीय माहौल तथा पाठशाला के अनुशासित वातावरण में तालमेल की कमी।

स्कूल प्रबन्धन समिति क्या करे ?

- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अवश्य लें। ग्राम प्रधान इसमें सहायता कर सकते हैं।
- जन्म के उपरान्त बच्चे का नाम ग्राम शिक्षा रजिस्टर में दर्ज कराएं।
- ग्राम शिक्षा रजिस्टर को अपडेट करने में अध्यापकों की सहायता करें।
- 3 वर्ष का होने पर बच्चे को आंगनबाड़ी में तथा 5 वर्ष का होने पर पाठशाला में नामांकित करें।
- प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करें।
- अगर बच्चा पाठशाला में दाखिल नहीं होता है तो इसका कारण पता करें तथा समस्या के समाधान का प्रयास करें। मात्र अपने ही बच्चों को पाठशाला भेज कर संतुष्ट न हो जाएं।
- यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चे नियमित रूप से पाठशाला जाएं। पाठशाला के समय में बेवजह घूम रहे बच्चे से पाठशाला न जाने का कारण पूछें। बच्चे के अभिभावकों से मिल कर उन्हें बच्चे को नियमित रूप से पाठशाला भेजने को प्रेरित करें।
- स्कूल प्रबन्धन समिति की बैठकों में उन बच्चों की जानकारी लें जो नियमित रूप से पाठशाला नहीं आ रहे और उनके अभिभावकों को उन्हें पाठशाला भेजने को प्रेरित करें।
- पाठशाला छोड़ने वाले बच्चों के बारे में पाठशाला छोड़ने के कारणों का पता करें। तथा उसके समाधान का प्रयास करें।
- पाठशाला में विभिन्न सुविधाओं और साफ–सफाई में अध्यापकों को सहयोग दें।
- पाठशाला में पीने के पानी, शौचालयों जैसी सुविधाएं जुटाने में सहायता करें।
- घुमंतू परिवारों के बच्चों, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से चल रही योजनाओं की जानकारी लोगों को दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें।
- बालिकाओं की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करें।
- स्कूल अध्यापकों की सहायता से नामांकन शिविरों का आयोजन करना।
- ब्रिज कोर्स के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले कोर्स इत्यादि की जानकारी लोगों को दें।

ठहराव

बच्चे का नामांकन पाठशाला में जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका पाठशाला में ठहराव सुनिश्चित करना । सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना है । ऐसे में अगर बच्चा शिक्षा बीच में छोड़ देता है तो बच्चे की शिक्षा के उददेश्यों की पूर्ति नहीं होती।

बच्चों का स्कूल में ठहराव न होने के कारण:

- पाठशाला और घर के वातावरण में अन्तर ।
- बच्चों की शिक्षा के प्रति अरूचि ।
- पाठशाला में बुनियादी जरूरतों जैसे पीने का पानी, शौचालयों आदि की कमी।
- बालिकाओं को घर से दूर शिक्षा के लिए भेजने में असुरक्षा की भावना।
- समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी।
- अध्यापकों द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशेष जरूरतों की पूर्ति न कर पाना।
- अध्यापकों द्वारा शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग न करना। इससे बच्चों को पाठ्यचर्या बोझिल व भारी लगती हैं।
- अभिभावकों द्वारा घरेलू कार्यों में बच्चों का सहयोग लेना। इससे बच्चे बार –बार स्कूल से छुटटी लेते हैं और पाठ्यचर्या को सीखने में पिछड़ जाते हैं ।
- फेल होने के डर से भी बच्चों में स्कूल में ठहराव कम हो जाता है । सतत् समग्र मूल्यांकन से बच्चे इस भय से बच सकते हैं।

बच्चों का पाठशाला में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति क्या करे :

- पाठशाला में समय –समय पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे–बाल मेले, मीना उत्सव, महत्वपूर्ण दिवस को मनाया जाए ताकि बच्चों को स्कूल आकर्षक लगे।
- पाठशाला में आयोजित इन कार्यक्रमों में स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्य एवं अध्यापक सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
- अभिभावकों से स्कूल स्तर पर होने वाली बैठकों में शिक्षा के महत्व पर चर्चा करें।
- बालिका शिक्षा का महत्व बताएं तथा माता –पिता को इसके लिए प्रेरित करें।
- पाठशाला के विकास में जनसहयोग लेना ताकि आवश्यकतानुसार पाठशाला के लिए सुविधाएं जुटाई जा सकें।
- पाठशाला के गुणात्मक शिक्षा के प्रयासों को बल देने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों में निरन्तर बातचीत होना जरुरी है।
- पाठशाला के शौचालयों विशेषकर बालिका शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दें।
- स्कूल प्रबन्धन समिति की बैठकों मे शिक्षण – अधिगम संबंधी समस्याओं पर बातचीत करना तथा उनका समाधान निकालना।
- सतत समग्र मूल्यांकन को सही ढंग से क्रियान्वित करवाना ।
- स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों में निरन्तर बातचीत होना कि वे घरेलू कार्यों में बच्चों का सहयोग स्कूल समय पर न लें। उसे बार –बार स्कूल से छुटटी न लेने दें ताकि वे पाठ्यचर्या को सीखने में न पिछड़ें ।
- स्कूल प्रबन्धन समिति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशेषकर जरूरतों की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयास करें। उपरोक्त प्रयासों से बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

मूल्य शिक्षा

आज बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा, समस्याओं की जटिलता, सम्बन्धों में तनाव तथा सामाजिक सामंजस्य में कमी के कारण शिक्षा में मूल्यों का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है । इस घुटन से त्रस्त शिक्षक, अभिभावक तथा छात्रों के बीच आजकल पूरे विश्व में मूल्यों की आवश्यकता को तीव्र रूप से अनुभव किया जा रहा है। इसलिए शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के चुने हुए प्रतिनिधियों से एक बार इन समस्याओं के प्रति उत्तरदायित्व भरे दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जा रहा है । आज सभी विद्यार्थियों के आचरण में निरन्तर हो रही गिरावट उनकी मूल्यों के प्रति अरूचि से समाज चिन्तित है। सभी को मिलजुल कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए बच्चों में मूल्यों का विकास करना होगा। अभिभावक, चुने हुए प्रतिनिधि एवं शिक्षक मिलजुल कर बच्चों को जीवन मूल्यों पर आचरण करने के लिए तैयार करें तथा दुनियां को बेहतर स्थान बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वर्तमान जीवन मूल्यों पर स्त्रोत व्यक्ति सभी प्रतिभागियों से चर्चा करें। इनमें प्रमुख है :

- शान्ति
- सम्मान
- प्यार
- सहनशीलता
- ईमानदारी
- विनम्रता
- सहयोग
- प्रसन्नता
- सादगी/सरलता
- एकता
- स्वतन्त्रता
- उत्तरदायित्व

उपरोक्त जीवन मूल्यों पर स्कूल प्रबन्धन समिति आपस में चर्चा करें कि हम बच्चों में इन आधारभूत मूल्यों को कैसे विकसित कर सकते हैं। स्कूल प्रबन्धन समिति की बैठक में अभिभावकों से यह आग्रह किया जाएगा कि बच्चों में शांति पूर्वक समस्याओं का समाधान करने की आदत बनानी होगी। बच्चों के साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें उपरोक्त सन्दर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कक्षा छः से आठ तक के लिए योग एवं हिमाचल संस्कृति से सम्बन्धित पुस्तकें विकसित की गई हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन क्रिया–कलापों के माध्यम से करने की प्रस्ताव है व समुदाय को भी विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा रहा है।

बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना

बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति आपस में चर्चा करें कि हम घर व स्कूल में क्या –क्या कर सकते हैं । स्त्रोत व्यक्ति प्रतिभागियों से विशेषकर अभिभावकों से निम्न बातों पर ध्यान देने को कहें –

- बच्चे खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धो लें।
- सोने से पहले हाथ पैर धो लें।
- कभी–कभी बच्चों का बैग/बस्ता चैक कर लें ।
- बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें।
- उनकी बुरी आदतों को मित्रतापूर्ण व्यवहार से दूर करें।
- टेलीविजन पर आने वाले कार्यक्रमों में बच्चों के देखने योग्य कार्यक्रमों का चयन कर ही बच्चों को दिखाएं।
- स्वयं अनुकरणीय उदाहरण पेश करें।
- सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग बच्चों के साथ पहले स्वयं करें।
- बड़ों का सम्मान व छोटे बच्चों से प्यार करने के लिए उन्हें प्रेरित करें ।
- अपने बैग, पुस्तकें, कपड़े व चारों ओर साफ सफाई के लिए बच्चों को प्रेरित करें।
- ध्यान रहे, बच्चों के नाखून कटे हों।
- बच्चों को समय पर विद्यालय आने के लिए तैयार करें।
- बच्चे नहा धो कर, कंघी करके स्कूल आएं। इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है व बच्चों के व्यक्तित्व में भी निखार आता है।
- ध्यान दें कि आपका बच्चा स्कूल आने से आनाकानी तो नहीं कर रहा हैं यदि ऐसा हो तो यह जानने का प्रयास करें कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है तथा शिक्षक /शिक्षिका को भी सूचित करें।
- सभी पाठशालाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि संभव हो तो कुछ योगासनों को बच्चे की नित्य दिनचर्या का हिस्सा बनायें। इससे बच्चों के मस्तिष्क में स्थिरता व स्थायित्व तो आयेगा ही, ये स्वस्थ भी रहेंगे।
- आपके बच्चे में स्कूल आने पर कोई सकारात्मक परिवर्तन हो रहें हैं तो वो भी शिक्षिका को ज़रुर बताएं।
- अपने बच्चे के मूल्यांकन प्रगति प्रपत्र को अवश्य देखें कि क्या वह शैक्षिक व सह –शैक्षिक गतिविधियों में प्रगति कर रहा है यदि नहीं तो शिक्षक से मिल कर जानने की कोशिश करें।
- मासिक या त्रैमासिक बैठकें विद्यालय स्तर पर की जाती हैं। उनमें अभिभावकों का आना बहुत जरूरी है। उससे आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे ने क्या सीखा और आप भी स्कूल विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे।
- विद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों की भागीदारी होना ज़रुरी है ।
- आप जानतें हैं स्कूल आपका है , आपके बच्चों का है । इसमें भावी पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करती है। इसकी देख–रेख, साफ–सफाई, सुरक्षा और विकास की ज़िम्मेवारी हमारी मिलीजुली है ।
- पेड़–पौधों व अपने आस–पास के समस्त पर्यावरण के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनायें ताकि बड़े होकर वे इस सम्बन्ध में एक जिम्मेदार सोच बना सकें।

मध्याहन भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

मध्याहन भोजन योजना हमारे देश के हर उस बच्चे के लिए है, जो हमारे सरकारी पाठशालाओं मे पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा इन कक्षाओं मे पढ़ रहे बच्चों को पाठशाला प्रांगण मे ही शुद्ध एवम पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मध्याहन–भोजन योजना को सफल बनाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की गई है।

1. मध्याहन–भोजन व्यवस्था हेतु स्टाफ का प्रावधान

मध्याहन्–भोजन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा तय मानदण्डों के आधार पर कुक; सहायक कुक, सामान की ढुलाई एवं ईंधन व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यक्ति को जिम्मेदारी सौपंने का कार्य स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा । इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय अन्तिम होगा । अधिकत्तर पाठशालाओं में ऐसा स्टाफ पहले से ही तैनात है।

2 मीनू निर्धारण

पूरे सप्ताह में बच्चों को प्रतिदिन क्या–क्या भोजन उपलब्ध होगा उसका निर्धारण भी स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा । इस संदर्भ में समिति की कार्यकारिणी के अलावा समिति का कोई भी सदस्य समय–समय पर विद्यालय जाकर मीनू को चैक कर सकता है।

3 स्थानीय स्त्रोत द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाना

दोपहर –भोजन में पकाई जाने वाली सामग्री जैसे सब्जी, दूध, लस्सी आदि स्थानीय क्षेत्र से ही उपलब्ध करवाई जाए तो बाजार से कम दाम में उपलब्ध हो सकेगी जिससे भोजन की गुणवता में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

4. भोजन की गुणवता की जांच

स्कूल प्रबन्धन समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होगा कि समिति का कोई भी सदस्य समय पर पाठशाला में आए और सम्बन्धित कार्य व भोजन की पौष्टिकता की जांच करें। भोजन में मिर्च, मसालों का प्रयोग पौष्टिकता के अनुसार सही है को विशेष रूप से जाँचा जाना चाहिए। जांच उपरान्त अपनी टिप्पणी रजिस्टर मे अवश्य दर्ज करें।

5. भोजन वितरण व्यवस्था

भोजन वितरण व्यवस्था में भी समिति का विशेष योगदान रह सकता है। जहाँ पर बच्चे अधिक हो वहां पर समिति का कोई भी नुमाइन्दा आकर सहायता कर सकता है! बच्चों में भी पंक्ति में भोजन ग्रहण करने की आदत विकसित करें।

6. खाद्य सामग्री की सफाई व छंटाई करना

भोजन पकाने के लिए उपलब्ध कच्चे सामान की सफाई एवम छंटाई भी आवश्यक रूप से करवाई जानी चाहिए इसमें समिति के सदस्य सहयोग कर सकते हैं। केवल उस समय जब चावल की पूर्ति आती हो। छंटाई के उपरान्त खाद्य सामग्री को सूखे व साफ बर्तन मे भण्डार कर दें।

7. कार्य समय निर्धारण

समिति यह भी तय करे की कुक व सहायक का कार्य समय प्रातः आगमन व प्रस्थान क्या हो। ये समय ऐसा होना चाहिए ताकि वो अपने कार्य का वहन ठीक प्रकार कर सके। अगले दिन की योजना (मीनू) पर बनाने के बाद ही स्टाफ छुट्टी करें ।

8 बर्तन–सिलेण्डर व्यवस्था

समिति का यह भी कार्य रहेगा कि भोजन बनाने के लिए बर्तन एवम ईंधन के लिए लकड़ी व सिलेण्डर की व्यवस्था समय पर हो।

9. सफाई व्यवस्था

समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि पाठशाला में (रसोई, बच्चों ,बर्तन) की सफाई हेतु सहायक आदि को समय–समय पर प्रेरित किया जाए। समिति का सम्पूर्ण दायित्व है कि वो पाठशाला में मध्याहन भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पूर्ण योगदान दें। सुझाव : मध्याहन भोजन को बनाने हेतु यदि पानी की असुविधा या कमी महसूस हो रही हो तो उसके निराकरण हेतु उचित कदम उठाना।

अनुग्रह

शिक्षा में गुणात्मकता तथा बच्चों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार लाने के लिए अभिभावकों की स्कूल स्तर पर भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है । इसी उद्देश्य से प्रदेश में समय–समय पर कई प्रयास हुए हैं। सभी लोग अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में आगे आएं इसलिए स्कूल स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समिति, मातृ अध्यापक संघ, अभिभावक अध्यापक संघ का गठन भी किया गया। जिसके फलस्वरूप स्कूल के कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी बढ़ी परन्तु फिर भी अभिभावकों की स्कूल विकास में निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई । इसका मुख्य कारण ग्रामीण शिक्षा समिति में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कम होना था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 (35/2009) के अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रावधान के कृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों तथा प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध तथा सरकार से सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में स्कूल प्रबन्धन समितियां गठित की जा रही हैं। इनमें स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक/संरक्षक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल हैं । अतः इस प्रकार स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन से अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा सरकार व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त स्कूल अनुदानों, सुविधाओं के उपयोग के निर्णय , कार्यान्वयन व अनुश्रवण हेतु अभिभावकों को सशक्त किया जा रहा है । जन भागीदारी को स्कूल स्तर पर सुनिश्चित करने की यह एक ऐतिहासिक पहल है । हमारा प्रयास है कि स्कूल विकास एवं प्रबन्धन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय में स्कूलों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत हो तथा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति व प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो सके ।

मेरा शिक्षक बन्धुओं, अभिभावकों से अनुरोध है कि वे स्कूलों में स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन में व क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें । तभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार होगा तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

राजीव शर्मा (हि. प्र. से.)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं मिशन निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

पाठकों से...

पाठकगण अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमें सूचित करें। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। पाठकगण सर्व शिक्षा अभियान संबंधी किसी भी सुझाव व जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

राजेश शर्मा
राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001

प्रस्तुति : ज्योति रावत